विदेश मंत्रालय
Ministry of External Affairs
केंद्रीय पासपोर्ट संगठन
Central Passport Organisation
वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट
Annual Performance Appraisal Report

वरिष्ठ अधीक्षक Senior Superintendent अधीक्षक Superintendent

#### प्रपत्र/Form

केंद्रीय पासपे	र्टि संगठन	के पासपोर्ट	प्रदाता अधिकार	री & अधीक्ष	क के लिए	वार्षिक	कार्यनिष्पादन	मूल्यांकन	रिपोर्ट/Annual
Performan Organisati		isal Repor	t of Passport	Granting	Officer &	Super	intendent o	f the Cer	ntral Passport

रिपोर्ट का वर्ष/अवधि का प्रतिवेदन/ Report for the year/ period ending ......

भाग/Part — 1

### वैयक्तिक ब्यौरा / Personal Data

(प्रतिवेदन कर्ता अधिकारी द्वारा भरा जाए/ To be filled by the Officer Reported Upon)

1	अधिकारी का नाम/ Name of the Officer				
2	जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष/ Date of birth (DD/MM/YYYY)/(शब्दों में/in words)				
3	धारित पदनाम/ Designation of post held				
4	वर्तमान क्षेणी में लगातार नियुक्ति की तारीख़/ Date of	दिनांक/ Date	क्षेणी / Grade		
	continuous appointment in the present grade				
5	वर्तमान पद तथा उस पर नियुक्ति की तारीख़/ Present	दिनांक/	पद/ Grade		
	post & date of appointment thereto	Date			
6	रिपोर्ट की अवधि में कार्य से अनुपस्थिति (अर्जित				
	अवकाश/प्रशिक्षण आदि)/ Absence from duty during the period of Report (earned leave/training etc.)				
7	(क/a) शैक्षणिक योग्यता/ Educational				
	Qualifications				
	(ख/b) हिन्दी में योग्यता/ Qualifications in Hindi				
	(ग/c) भारतीय भाषाओं का ज्ञान और योग्यता का स्तर/ Knowledge of Indian languages and level of competence				
	(घ/d) क्या अधिकारी कंप्यूटर का प्रभावी उपयोग कर				
	सकता है? / Can the officer make effective use of computer?				
	(ङ/e) प्रशिक्षण के लिए अनुशंसित पाठ्यक्रम/पुनश्चर्या				
	पाठ्यक्रम सहित अध्ययन और उत्तीर्ण विभागीय परीक्षा/				
	Approved course of training/study including refresher course and departmental				
	refresher course and departmental examination passed				
8	पारिवारिक सदस्यों का विवरण/ Details of family members	संबंध/Relationship	आयु/Age		

भाग/Part- 2
जिस अधिकारी का प्रतिवेदन लिखा जाना है उसी के द्वारा भरा जाए/ To be filled in by the Officer Reported Upon
(कृपया प्रविष्टियों को भरने से पहले अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें/ Please read carefully the instructions before filing the
entries)
1. ड्यूटियों का संक्षिप्त विवरण/ Brief description of duties:
2. कृपया अपने लिए स्वयं निर्धारित या आपके लिए निर्धारित किए गए कार्य के लक्ष्य/उद्देश्य/ध्येय (परिमाणात्मक या अन्य प्रकार से) का उक्षेख करें, प्रमुखता अनुसार 8 से 10 मदें और प्रत्येक लक्ष्य के संबंध में आपकी उपलब्धि का भी उक्षेख करें/Please specify targets/objectives/goals (in quantitative or other terms) of work you set for yourself or that were set for you,
eight to ten items of work in the order of priority and your achievement against each target लक्ष्य/उद्देश्य/ध्येय/ targets/objectives/goals उपलब्धियां/Achievments

,

	have been significantly higher achievements and your contribution thereto
31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई	थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख़ दी जाए/ Please state whether the annual r the proceeding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 <sup>st</sup> Janua
31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई	वर्ती कैलेंडर वर्ष की अचल संपत्ति वार्षिक विवरणी निर्धारित तारीख़ अर्थात कैलेंडर वर्ष से उत्तरवर्ती व थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख़ दी जाए/ Please state whether the annual r the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 <sup>st</sup> Janua ndar year. If not, the date of filing the return should be given.
31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई	थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख़ दी जाए/ Please state whether the annual r the proceeding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 <sup>st</sup> Janua
31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई	थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख़ दी जाए/ Please state whether the annual r the proceeding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 <sup>st</sup> Janua
31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई	थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख़ दी जाए/ Please state whether the annual r the proceeding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 <sup>st</sup> Janua
31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई	थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख़ दी जाए/ Please state whether the annual r the proceeding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 <sup>st</sup> Janua
31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई on immovable property for the year following the caler	थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख़ दी जाए/ Please state whether the annual r the proceeding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 <sup>st</sup> Janua
31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई on immovable property for the year following the caler स्थान/Place:-	थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख़ दी जाए/ Please state whether the annual r the proceeding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 <sup>st</sup> Janua

#### भाग/Part 3

1. संख्यात्मक ग्रेडिंग का निर्धारण प्रतिवेदन तथा पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा किया जाना है जो 1-10 के पैमाने पर होना चाहिए, जहां 1 सबसे कम ग्रेड का तथा 10 उच्चतम ग्रेड का उल्लेख करता है/ Numerical grading is to be awarded by the reporting and reviewing authority which should be on a scale of 1-10, where 1 refers to the lowest grade and 10 to the highest (कृपया प्रविष्टियों को भरने से पहले अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें/ Please read carefully the guidelines before filling the entries)

(क/A) कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन (इस भाग का भार 40% होगा/ Assessment of work output (weightage to this

Section would be 40%)

Section would be 40%)	प्रतिवेदन प्राधिकारी/	पुनर्विलोकन प्राधिकारी	पुनर्विलोकन प्राधिकारी के
	Reporting Authority	(भाग 5 का अनुच्छेद 2 देखें)/ Reviewing Authority (Refers Para 2 of part-5)	आद्याक्षर/ Initial of Reviewing Authority
1	2	3	4
(i) पूर्वनियोजित कार्य की			-
परिपूर्णता/विषय के आधार पर			
आबंटित कार्य (कृपया अगले पृष्ठ			
पर नोट देखें/ Accomplishment of planned work/ work allotted as per subjects allotted.(pl.see note on next page))			
(ii) कार्यनिष्पादन की गुणवत्ता/			
Quality of work Output			
(iii) समय-सीमा का अनुपालन			
करने की क्षमता/ Capacity to adhere to time- schedule			
(iv) विशिष्ट कार्यों की			
परिपूर्णता/किए गए अप्रत्याशित			
कार्य / Accomplishment of exceptional work/ unforeseen tasks performed			
निर्गत कार्यों पर कुल मिलाकर			
ग्रेडिंग			
{कुल (i) से (iv)/4 Overa Grading on 'Wor Output' {Total (i) to (v)/5]	·k		

(ख/B) व्यक्तिगत विशेषताओं का मूल्यांकन (इस भाग का भार 30% होगा/ Assessment of personal attributes (weightage to this section would be 30%)

	प्रतिवेदन प्राधिकारी/	पुनर्विलोकन प्राधिकारी (भाग 5	पुनर्विलोकन प्राधिकारी के
	Reporting Authority	का अनुच्छेद 2 देखें)/ Reviewing Authority (Refers Para 2 of part-5)	आद्याक्षर/ Initial of Reviewing Authority
1	2	3	4
(i) कार्य की अभिवृत्ति/ Attitude			
to work			
(ii) ज़िम्मेदारी का बोध/ Sense			
of responsibility			
(iii) अनुशासन का अनुरक्षण/			
Maintenance of discipline			
(iv) संप्रेषण क्षमताएँ/			
Communication skills			
(v) नेतृत्व गुण/ Leadership			
qualities			
(vi) टीम भावना एवं अंतर			
वैयक्तिक संबंध/ Team spirit &			
inter personal relations			
(vii) जनसंपर्क/ Public relations			
व्यक्तिगत विशेषताओं पर कुल			
मिलाकर ग्रेडिंग			
{कुल (i से vii)/7}/ Overall Grading on 'Personal Attributes' {Total (i) to			
(vii)/7)			

सामान्य उत्पादकता संदर्भ मानक/ Normal Output: Benchmark (100 %)

<u>अंक / Score</u>	वास्तविक कार्य/ Actual output
0	40% से कम/ Below 40%
0	40% - 54%
0	55% - 69%
5	70% - 84%
7	85% - 99%
9	100%

(ग/C) क्रियात्मक योग्यता का मूल्यांकन (इस भाग का भार 30% होगा)/ Assessment of functional competency (weightage to this section would be 30%)

(weightage to this section	n would be 30%)		
	प्रतिवेदन प्राधिकारी/	पुनर्विलोकन प्राधिकारी	पुनर्विलोकन प्राधिकारी के
	Reporting Authority	(भाग 5 का अनुच्छेद 2	आद्याक्षर/ Initial of Reviewing
		देखें)/ Reviewing	Authority
		Authority (Refers Para	
		2 of part-5)	
1	2	3	4
(i)नियमों/अधिनियमों/कार्य के			
क्षेत्र में प्रक्रियाओं और इन्हें प्रयोग			
करने की योग्यता/ Knowledge			
of Rules/Regulations/			
Procedures in the area of function and ability	,		
to apply them correctly			
(ii) समस्या निराकरण/			
Problem solving			
(iii) निर्णयन योग्यता/			
Decision making ability			
(iv) समन्वयन योग्यता/			
Coordination ability			
(v) पहल करने की क्षमता/			
Initiative			
क्रियात्मक योग्यता पर कुल			
मिलाकर ग्रेडिंग			
{कुल (i से v)/5}/			
Overall Grading on			
'Functional			
Competency' {Total (i)			
to (v)/5}			

### सामान्य/General

भाग – 4	
1. स्वास्थ्य की स्थिति/ State of health	
2. सत्यनिष्ठा (कृपया अधिकारी की सत्यनिष्ठा	ा पर टिप्पणी करें, यदि, यह संदेह से परे है तो इसे भी दर्शित किया जा सकता है)/Integrity
(Please comment on the integrity of	the officer. If the officer's integrity is beyond doubt, it may be so stated)
	लिम तस्वीर (लगभग 100 शब्दों में), जिसमें अधिकारी का सामर्थ्य क्षेत्र एवं कम सामर्थ्य क्षेत्र
	ओं (संदर्भ भाग 2 का 3 (क) एवं 3 (ख)) एवं दुर्बल वर्गों के प्रति अभिवृत्ति शामिल हो)/ Pe
Pictures by Reporting Officer (in abo	out 100 words) on the overall qualities of the officer including area of aordinary achievements, significant failure (ref: 3(A) & 3(B) of Part -2) an
attitude towards weaker sections	torumary defined the figure and the first of
6. प्रतिवेदन के भाग – 3 के खंड क, ख औ	र ग में दिए गए भारांश के आधार पर कुल मिलाकर संख्यात्मक ग्रेडिंग (नोट : कुल मिलकर ग्रे
	के सूचकों की माध्य संख्या के जोड़ पर आधारित होगी)/ Overall numerical grading on
hasis of weightage given in Section	on A. B and C in Part-3 of the Report.
{Note: The overall grading will proportion to weightage assign	be based on addition of the mean value of each group of indicators ed}.
propertient to marginings many	
स्थान/Place	
तिथि/Date	
1511-17 Date 111111111111111111111111111111111111	प्रतिवेदन अधिकारी के हस्ताक्षर/ Signature of the Reporting Office
	साफ अक्षरों में नाम/ Name in Block Letters
<del>0.14 -0</del> ~ <del>6</del>	ਸੇ ਸਟਰਾਸ / Designation During the period of Report:

भाग/Part—5 पुनर्विलोकन अधिकारी की अभ्युक्ति/ REMARKS OF THE REVIEWING OFFICER
1. पुनर्विलोकन अधिकारी के अधीन सेवा की अवधि/ Length of service under the Reviewing Officer
2. क्या आप भाग — 3 व भाग — 4 के निर्गत कार्य तथा विभिन्न गुणों के संबंध में प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन से सहमत हैं ?
क्या आप अधिकारी की असाधारण उपलब्धियों/महत्वपूर्ण असफलताओं के संबंध में किए गए मूल्यांकन से सहमत हैं ? (संदर्भ : भाग 3 एवं
भाग 4 (5)) (यदि आप प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा किए गए गुणों के किसी संख्यात्मक मूल्यांकन से सहमत नहीं हैं, तो कृपया अपना मूल्यांकन
इस खंड के दिए गए स्तंभ में दें तथा विद्द्यमानता को आद्याक्षर करें/Do you agree with the assessment made by the reporting officer with respect to the work output and the various attributes in Part-3 & Part-4? Do you agree with the assessment of reporting officer in respect of extraordinary achievements/significant failures of the reported upon? {Ref: Part-3(A)(iv) and Part-4(3)} (In case you do not agree with any of the numerical assessment of attributes please record your
assessments on the column provided for you in that section and initial your entries).
ਗ਼ੱ /Yes ਜ਼ਿਲੀ/No
3. असहमत होने की स्थिति में कृपया इसके कारण बताएं, क्या कुछ ऐसा है जिसे आप बदलना या जोड़ना चाहते हैं/ In case of
disagreement, please specify the reason. Is there anything you wish to modify or add?
4. पुनर्विलोकन अधिकारी द्वारा अधिकारी की कलम तस्वीर (लगभग 100 शब्दों में), जिसमें अधिकारी का सामर्थ्य क्षेत्र एवं कम सामर्थ्य क्षेत्र, असाधारण उपलब्धियां, महत्वपूर्ण असफलताओं (संदर्भ भाग 2 का 3 (क) एवं 3 (ख)) एवं दुर्बल वर्गों के प्रति अभिवृत्ति शामिल हो)/ Pen Picture by Reviewing Officer. Please comment (in about 100 words) on the overall qualities of the officer including area of strengths and lesser strength and his attitude towards weaker section
5. प्रतिवेदन के भाग — 3 के खंड क, ख और ग में दिए गए भारांश के आधार पर कुल मिलाकर संख्यात्मक ग्रेडिंग/ Overall numerical grading on the basis of weightage given in Section – A, Section- B and Section- C in Part – 3 of the Report.
grading on the state of tronginage given in content of the state of th
स्थान/Place:
तिथि/Date: पुनर्विलोकन अधिकारी के हस्ताक्षर/Signature of the Reviewing Officer
साफ अक्षरों में नाम/Name in Block Letters:
पदनाम/Designation:
रिपोर्ट की अवधि में पदनाम/ Designation During the period of the report

# संख्यात्मक ग्रेडिंग के साथ एपीएआर भरने संबंधी दिशानिर्देश/ Guidelines regarding filing up of APAR with numerical Grading

- 1. वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, यह एक अधिकारी के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए और उसे उसके कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आधारभूत एवं महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराती है इसलिए अधिकारी, जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है, प्रतिवेदन/पुनर्विलोकन अधिकारी को प्रपत्र में जानकारियाँ भरते समय उत्तरदायित्व की उच्च समझ के कर्तव्य का पालन करना चाहिए/The Annual Performance Appraisal Report is an important document, it provides the basic and vital inputs for assessing the performance of an officer and for his/her further advancement in his/her career. The officer reported upon, the Reporting/Reviewing Officer should, therefore, undertake the duty of filing out the form with a high sense of responsibility
- 2. इसका उद्देश्य अधिकारी का इस प्रकार विकास करना है कि वह अपनी क्षमता का सही अनुभव कर सके । यह दोष ढूंढने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि विकासात्मक प्रक्रिया है । प्रतिवेदन/पुनर्विलोकन अधिकारी को कार्यनिष्पादन, रवैये या कुल व्यक्तित्व की किमयों को रिपोर्ट में उजागर करने में संकोच नहीं करना चाहिए/Objective is to develop an officer so that he/she realizes his/her true potential. It is not meant to be a fault finding process but a developmental one. The Reporting/Reviewing Officer should not shy away from reporting shortcomings in performance, attitudes or overall personality of the officer reported upon
- 3. मदें पर्याप्त समय देते हुए पूर्ण सावधानी और सचेत होकर भरी जानी चाहियेँ रिपोर्ट को लापरवाह या सतही तौर पर भरे जाने का कोई भी प्रयास उच्च प्राधिकारियों द्वारा आसानी से समझे जाने योग्य होगा/The items should be filled in with due care and attention and after devoting adequate time. Any attempt to fill the report in a casual or superficial manner will be easily discernible to higher authorities
- 4. प्रत्येक उत्तर, संख्यात्मक ग्रेडिंग दिए जाने वाले स्थान को छोडकर, वर्णनात्मक शैली में दिया जाना चाहिए । दिया गया स्थान उत्तर की वांछित माप को दर्शाता है । वाक्य एवं वाक्यांशों का चुनाव सावधानी पूर्वक करना चाहिए और ये रिकॉर्डकर्ता अधिकारी के उद्देश्य को सही–सही दर्शित करने वाले हों । सुस्पष्ट एवं सामान्य भाषा प्रयोग की जानी चाहिए/Every answer shall be given in a narrative form except where numerical grading is to be awarded. The space provided indicates the desired length of the answer. Words and phrases should be chosen carefully and should accurately reflect the intention of the officer recording the answer. Unambiguous and simple language may be used
- 5. प्रतिवेदन अधिकारी को, वर्ष के आरंभ में अधिकारियों, जिनकी रिपोर्ट तैयार की जानी है के लिए वर्ष भर में पूरे किए जाने हेतु लक्ष्य का निर्धारण कर देना चाहिए। यदि कोई अधिकारी रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान नया पद ग्रहण कर रहा हो तो ऐसे लक्ष्यों/उद्देश्यों का निर्धारण नया प्रभार ग्रहण करते समय कर देना चाहिए/ The Reporting Officer shall, in the beginning of the year, assign targets to each of the officers to whom he is required to report upon for completion during the year. In the case of an officer taking up a new post in the course of the reporting year, such targets/goals shall be set at the time of assumption of the new charge. The tasks/targets set should clearly be known and understood by the both the officers concerned.
- 6. हालांकि कार्य निष्पादन मूल्यांकन वर्षांत प्रक्रिया है, परंतु इस रूप में कि इसका मानव संसाधान विकास के एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सके, प्रतिवेदन अधिकारी को निश्चित समय-अंतराल पर इसकी समीक्षा करनी चाहिए और सलाह आदि के रूप में आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए/ Although performance appraisal is a year-end exercise, in order that it may be a tool for human resource development; the Reporting Officer should at regular intervals review the performance and take necessary corrective steps by way of advice etc.
- 7. प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता का यह प्रयास होना चाहिए कि अधिकारी, जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है, के कार्य निष्पादन, आचरण, व्यवहार एवं सामर्थ्य के संबंध में वास्तविक संभव तस्वीर प्रस्तुत की जाए/ It should be the endeavour of each appraiser to present the truest possible picture of the appraisee in regard to his/her performance, conduct, behaviour and potential
- 8. आकलन मूल्यांकन किए जाने वाले अधिकारी द्वारा रिपोर्ट की अविध में किए जाने वाले कार्य तक ही सीमित होना चाहिए/ Assessment should be confined to the appraisee's performance during the period of report only

9. यह आशा की जाती है कि 1 अथवा 2 के किसी ग्रेडिंग (निर्गत कार्य या विशेषताओं या कुल मिलाकर ग्रेडिंग) के प्रतिकूल को विशिष्ट असफलताओं के मार्ग में कलाम तस्वीर में पर्याप्त रूप से औचित्य दिया जाएगा और इसी प्रकार 9 अथवा 10 के किसी ग्रेड के संबंध में विशिष्ट उपलब्धियों के संबंध में औचित्य दिया जाएगा । ग्रेड 1–2 अथवा 9–10 विरल होता है, अतः उनका औचित्य दिए जाने की जरूरत है । संख्यात्मक ग्रेड प्रदान करते हुए प्रतिवेदन एवं पुनर्विलोकन प्राधिकारियों की किसी अधिकारी का दर्जा निर्धारण उनके अधीन बही संख्या में वर्तमान कार्यरत सहयोगियों की तुलना में करना चाहिए/ It is expected that any Grading of 1 or 2 (against work output or attributes or overall Grade) would be adequately justified in the pen picture by way of specific failures and similarly, any Grade of 9 & 10 would be justified with respect to specific accomplishments. Grades of 1-2 or 9-10 are expected to be rare occurrences and hence the need to justify them. In awarding a numerical grade the Reporting and Reviewing authorities should rate the officer against a larger population of his/her peers that may be currently working under them.

10. मनोनयन/पदोन्नति के लिए से औसत प्राप्तांक की गणना के उद्देश्य से निम्नलिखित ग्रेड पर विचार किया जाना चाहिए/ For purpose of calculating average scores for empanelment/promotion, the following grades will be considered:-

एपीएआर ग्रेड/ APARs graded	ग्रेडिंग/ Grading	विचारार्थ प्राप्तांक/ Score to be considered 9	
8.00 and above	उत्कृष्ट/ Outstanding		
6.00 and above but below 8	बहुत अच्छा/ Very Good	7	
4.00 and above but below 6.00	अच्छा/ Good	5	
Below 4.00	Average	0	

### <u>टिप्पणी/ Note</u>:

- (i) यदि अधिकारी की सत्यिनष्ठा संदेह से परे है तो इसे दर्शित किया जा सकता है/ If the officer's integrity is beyond doubt, it may be so stated.
- (ii) यदि कोई शक़ या संदेह हो तो मद को खाली छोड़ दिया जाना चाहिए और निम्नलिखित कार्यवाही की जानी चाहिए/ If there is any doubt of suspicion, the item should be left blank and action taken as under:
- (क)/(a) एक पृथक गोपनीय नोट दर्ज किया जाना चाहिए और जाँच की जानी चाहिए। नोट की एक प्रति रिपोर्ट के साथ अगले उच अधिकारी को भी भेजी जानी चाहिए जो कि सुनिश्चित करेंगे कि जाँच की कार्यवाही तीव्रता से की जा रही है। जहाँ अधिकारी की सत्य निष्ठा को प्रमाणित कर पाना या पृथक नोट दर्ज कर पाना संभव न हो वहाँ प्रतिवेदन अधिकारी को रेखांकित किया जाना चाहिए कि उसने निश्चित निर्णय लेने के लिए अधिकारी के कार्य पर पर्याप्त समय तक नज़र नहीं रखी है या फिर उसने अधिकारी के विरुद्ध कोई बात नहीं सुनी है, जो भी मामला हो/A separate secret note should be recorded and followed up. A copy of the note should also be sent together with the Report to the next superior officer who will ensure that the follow-up action is taken expeditiously. Where it is not possible either to certify the integrity or to record the secret note, the Reporting Officer should state either that he has not watched the officer's work for sufficient time to form a definite judgment or that he has heard nothing against the officer, as the case may be
- (ख)/(b) यदि, जाँच की कार्यवाही के फलस्वरूप शक्न या संदेह स्पष्ट हो जाता है तो अधिकारी की सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जानी चाहिए और तदनुसार रिपोर्ट में प्रविष्टि दर्ज की जानी चाहिए/ If, as a result of the follow-up action the doubts or suspicions are cleared, the officer's integrity should be certified and an entry made accordingly in the Report
- (ग)(c) यदि, शक्र या संदेह पुष्ट हो जाते हैं तो, तथ्य दर्ज किया जाना चाहिए और संबंधित अधिकारी को भी बताया जाना चाहिए/ If the doubts or suspicions are confirmed, the fact should also be recorded and duly communicated to the officer concerned
- (घ)(d) यदि, जाँच की कार्यवाही के फलस्वरूप शक्न या संदेह स्पष्ट या पुष्ट नहीं हो पाते हैं तो एक अवधि तक अधिकारी के आचरण को दृष्टिगत रखा जाना चाहिए और इसके बाद उपरोक्त (ख) और (ग) में दर्शित कार्यवाही की जानी चाहिए/If as a result of the follow up action, the doubts or suspicions are neither cleared nor confirmed the officer's conduct should be watched for a period and thereafter action taken as indicated at b) and c) above

## मंत्रालय/ Ministry /विभाग/ Deptt.

(जिस अधिकारी	ो का प्रतिवेदन लिर	ब्रा जाना है उसी ह	के द्वारा भरा जाए	To be filled by the (	Officer Reported u	ıpon)
4/1 ,		पदना	म/Designation		ਦੁਸੀਦੁਆਂ ਜ	पन के भगा <u>⊣</u> । क्रो
पूर्ण करक अपना एपाएआर प्र	पत्र अवधि/वर्ष/ af	ter completing	part-II of the Al	PAR Form for the perio	od/year	के लिए प्रतिवेदन
जावकारा, श्रा/ श्रामता	का/	to	the	Reporting	Officer.	namely
Shri/MS	पदन	गम/Designation		दिनांक/०	n date	को
जमा कर चुका/चुकी हूँ/ hav	e submitted my	APAR form				
				हस्ताक्षर/ Sign	ature	
					on	
					2	
						र्ची –ख/Slip B
			Ministry /विभाग			
	(प्रतिवेदन अधि	गरी द्वारा भरा ज	ए / To be fille	d by the Reporting O	fficer)	
अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिवेदन अधि	विवारी के रूप में टिप	पणियाँ दर्ज करके १	र्गी/श्रीमती/सुश्री/	The undersigned, aft	er recording comn	nents as Reporting
Officer on the APAR of	of Shri/Ms	पदनाः	7/ Designation	۱	के एपीएआर को	अवधि / वर्ष / for the
period/yearअग्रेषित कर दी है/ has forwa	के लिए	पुनर्विलोकन अधिव	गरी को दिनांक/	to the Reviewing Offi	cer on date	को
				हस्ताक्षर/Signa	ature	
					n	
						र्f — ग∕Slip C)
		मंत्रालय/।	Ministry विभाग/	Deptt.	`	,
	(पुनर्विलोकन अधि	कारी द्वारा भरा ज	叹/ To be fille	d by the Reviewing C	Officer)	
APAR of श्री/श्रीमती/सुश्री/	Shri/Ms	पद	नाम/Designatio	ก	त्री एपीएआर वर्ष/ fo	r the period/year
के लिए प्रतिवेदन अधि Reporting Officer and rev	वकारी की टिप्पणिय	। और अधोहस्ताक्ष	री के पनर्विलोकन	के पश्चात इसके साथ पेषित	न की जा रही है / dul	y recorded by the
				हस्ताक्षर/ Signat	ture	
					•••••	
					ı	
					••••••	

संवर्ग प्रकोष्ठ/Cadre Cell—II सीपीवी प्रभाग/CPV Division

# एपीएआर के प्रतिवेदन/पुनर्विलोकन की संशोधित प्रक्रिया/ Revised system of Reporting/Reviewing of APAR

क्र.सं./sr.	अधिकारी जिसका प्रतिवेदन किया	प्रतिवेदन अधिकारी/ Reporting	पुनर्विलोकन अधिकारी / Reviewing Officer
No.	जा रहा है/ Officer Reported	Officer	Switch State of Medical State of State
	Upon		
1.	पासपोर्ट अधिकारी (उप पासपोर्ट	संयुक्त सचिव (पी.एस.पी.) & मुख्य पासपोर्ट अधिकारी / Joint Secretary (PSP) & CPO	अपर सचिव (सी.पी.वी.)/एस.एस.
	अधिकारी और उससे ऊपर)/		(ए.डी&सी.पी.वी.)/ Additional Secretary
	Passport Officer (DPO and above)		(CPV)/SS(AD&CPV)
2.	पासपोर्ट अधिकारी (उप पासपोर्ट	निदेशक / Director	संयुक्त सचिव (पी.एस.पी.) & मुख्य पासपोर्ट
	अधिकारी से कम स्तर के सभी		अधिकारी / Joint Secretary (PSP) & CPO
	कार्यालय प्रमुख)/ Passport		
	Officer (all Heads of office below the rank of DPO)		
3.	उप पासपोर्ट अधिकारी/ Deputy	पासपोर्ट अधिकारी / Passport Officer	संयुक्त सचिव (पी.एस.पी.) & मुख्य पासपोर्ट
	Passport Officer		अधिकारी / Joint Secretary(PSP) & CPO
4.	सहायक पासपोर्ट अधिकारी/ Assistant Passport Officer	पासपोर्ट अधिकारी/Passport Officer	संयुक्त सचिव (पी.एस.पी.) & मुख्य पासपोर्ट
			अधिकारी / Joint Secretary (PSP) & CPO
5.	वरिष्ठ अधीक्षक/Sr. Superintendent	सहायक पासपोर्ट अधिकारी/उप पासपोर्ट	पासपोर्ट
		अधिकारी / Assistant Passport	अधिकारी(कार्यालयाध्यक्ष) /Passport
		Officer/Deputy Passport Officer	Officer (Head of Office)
7.	अधीक्षक / Superintendent	सहायक पासपोर्ट अधिकारी/उप पासपोर्ट	पासपोर्ट अधिकारी (कार्यालयाध्यक्ष)/
		अधिकारी / Assistant Passport	Passport Officer (Head of Office)
	सहायक अधीक्षक, वरिष्ठ पासपोर्ट	Officer/Deputy Passport Officer	
/.		अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक/सहायक	पासपोर्ट अधिकारी (कार्यालयाध्यक्ष)/ Passpo
	सहायक , कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक,	पासपोर्ट अधिकारी/उप पासपोर्ट अधिकारी/ Suptd./ Sr. Supdt. /Assistant Passport Officer/ Deputy Passport Officer	Officer (Head of Office)
	हिन्दी अनुवादक/ Assistant Superintendent, SPA, JPA,		
	Hindi Translator		
8.	आशुलिपिक (पासपोर्ट अधिकारी का	पासपोर्ट अधिकारी / Passport Officer	पासपोर्ट अधिकारी (कार्यालयाध्यक्ष) /
	व्यक्तिगत स्टाफ)/		Passport Officer (Head of Office)
	Stenographer (Personal staff of PO)		(volum or omice)
	कार्यालय सहायक/Office	अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक/सहायक	पासपोर्ट अधिकारी (कार्यालयाध्यक्ष) /
	Assistant	पासपोर्ट अधिकारी/उप पासपोर्ट	Passport Officer (Head of Office)
		अधिकारी / Suptd. /Sr. Supdt./	
		Assistant Passport Officer/Deputy	
		Passport Officer	